815 [illegible] लम्बित [illegible] लोक अदालत में [illegible] है अतः प्रकरण [illegible] किया जाता है पक्षकारान [illegible] 28/5/18 को लोक अदालत के समक्ष आवश्यक रहे

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

28/5 पक्षगण की ओर से प्रस्तुत है

पक्षकारान उप० प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की आपसी सुलहनामा होगया है बाद को आगे नहीं चलाना चाहते है जावते रिट्रोवल आदेश फरमावे। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद को जावते रिट्रोवल आदेश किया जाता है फिल कोर्ट फीस के नाम होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर की।

तिथि उठाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

हस्ताक्षर गोपालसिंह

हस्ताक्षर गुमान सिंह

हस्ताक्षर [illegible]

हस्ताक्षर भंगालिया

गजराज सिंह
राजकुमार